न्यायालय:-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी:- एस०के० गुप्ता) वैवाहिक प्र0क0 31/2017 सं**स्थित दिनांक 15-05-2017**

श्रीमती सोनकली पत्नी बनवारी, पुत्री नारायण, उम्र 23 वर्ष, जाति जाटव, निवासी धीरसिंह का पुरा, (पीपरपुरा) थाना गोरमी तहसील मेहगांव हाल निवासी- महूरीकापुरा थाना एण्डौरी तहसील गोहद, िजिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

।। <u>विक</u>द्धा

WIND A Parent बनवारी पुत्र मेवाराम, उम्र 25 वर्ष, जाति जाटव, निवासी धीरसिंहकापुरा (पीपरपुरा) थाना गोरमी तहसील गोरमी (मेहगांव) जिला भिण्ड म०प्र0अनावेदक

> आवेदक द्वारा–श्री भगवती प्रसाद राजौरिया अधि०. अनावेदक द्वारा-श्री बी0आर0 चौरसिया अधि0

।<u>। निर्णय</u>।। (आज दिनॉक 11.01.18 को घोषित किया गया)

- आवेदक एवं अनावेदक की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 01. की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमित से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 15.05.2017 को प्रस्तुत की गयी है।
- याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् उभयपक्ष व्यक्तिगत रूप से दिनांक 10.01. 02. 2018 न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में विचार नहीं मिलने के कारण कदापि एक साथ रहना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिया जावे।

03. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद संबंधी याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक का विधिवत विवाह, हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 30.05.2014 को ग्राम महूरी का पुरा थाना एण्डोरी, तहसील गोहद जिला भिण्ड में सम्पन्न हुआ था, तभी से वे परस्पर पित पत्नी हैं। विवाह के बाद से ही ससुराल में रहने के दौरान आवेदक तथा अनावेदक के मध्य आपसी विचार एवं सहमित नहीं बन पाने के कारण वैचारिक मदभेद उत्पन्न हो गये और छोटी—छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरिया स्थापित हो गई तथा वर्तमान में दोनों एक वर्ष से पृथक पृथक निवास कर रहे है, उनका एक साथ रह पाना कदापि संभव नहीं है तथा आवेदक ने अनावेदक से एक मुश्त भरण पोषण राशि 50 हजार रूपये प्राप्त कर लिये हैं। अतः आवेदक एवं अनावेदक की ओर से सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

01. क्या आवेदक एवं अनावेदक विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

//सकारण निष्कर्ष//

05. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा पारस्परिक सहमित के आधार पर प्रस्तुत याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि, विवाह के बाद से ही ससुराल में रहने के दौरान आवेदक तथा अनावेदक के मध्य आपसी विचार एवं सहमित नहीं बन पाने के कारण वैचारिक मदभेद उत्पन्न हो गये और छोटी—छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरिया स्थापित हो गई तथा वर्तमान में दोनों एक वर्ष से पृथक पृथक निवास कर रहे है, उनका एक साथ रह पाना कदापि संभव नहीं है तथा आवेदक ने अनावेदक से एक मुश्त भरण पोषण राशि 50 हजार रूपये प्राप्त कर लिये हैं। अतः सहमित के आधार पर उनके मध्य हुआ विवाह को विघटित कर दिया जावे।

06. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है तथा मामले में इस न्यायालय द्वारा एवं मीडियेशन के माध्यम से तक एक साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिये प्रयास किये जाने के बावजूद भी उभयपक्ष अपने फैसले पर अडिंग हैं। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

07. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

- आवेदक एवं अनावेदक के मध्य हुआ विवाह दिनांक 30.05.
 2014 को विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदक
 आज निर्णय दिनांक से पित पत्नी नहीं रहेगें।
- 2 उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/— तक मान्य की जाती है।

तदानुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(एस०के० गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(एस०के० गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म०प्र०)